70

न्यायालय :—माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी II/निगरानी/दतिया/भू.रा.सं./2017/2966

खेमचन्द्र पुत्र हरप्रसाद अहिरवार निवासी ग्राम सनौरा तहसील व जिला दतिया म0प्र0

—— आवेदक

श्री S. P. Dhakad Ad. द्वारा आज दि.28/08/17 को प्रस्तुत 28-8-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मल्थू पुत्र सूरा निवासी ग्राम सनौरा तहसील व जिला दतिया म0प्र0

—— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनु.वि.अधि. दतिया जिला दतिया प्र.क. 198/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2017 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत।

(SPDhakad) 28.8.17

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य :—

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क. 1807 रकवा 0.16 हे., भूमि का पट्टा प्रदान किया गया था। उक्त भूमि का जर्ये रजि. विकय पत्र दिनांक 18.10.2006 से क्रय किया है उक्त विकय पत्र के आधार पर विधिवत नामांतरण नियमों का पालन करते हुए नामांतरण आदेश स्वीकार किया गया। केवल अंतरण संबंधी जाँच जिला स्तर पर नही की गई है। और ना ही आवेदक को समक्ष मे बुलाया गया है जबकि विकेता द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध मे विकेता को अपील करने का अधिकार नहीं है क्योंकि विकेता द्वारा उक्त भूमि को पंजीकृत विकय पत्र से विकय कर दिया गया है। तथा पटटे की शर्तो का कोई उलग्घन नही किया है। क्योकि पटटा को ......

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–दो / निगरानी / दतिया / भू.रा. / 2017 / 2966

खेमचन्द्र विरूद्ध मल्थू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 198 / अपील / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 31–07–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	